28.8.19

प्रार्थनापत्र पेश हुये वाद्यनाम प्रतिवादी अधिवक्ता निगरानीकर्ता उच्चल कुमार वकील हाजिर हैं। कथन किया है कि अब पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। पक्षकारान के मध्य सौहार्द्र एवं प्रेम बना रहे इस कारण से निगरानी को आगे नहीं चलाना चाहते हैं और निगरानी प्रार्थनापत्र वापस करने की इच्छा है। वकील अर-निगरानीकर्ता को इसके कोई आपत्ति नहीं है अतः निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी आगे न चला कर वापस करने की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। निगरानी प्रार्थनापत्र वापस करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाया।

अति. कलक्टर (राजस्व)
जयपुर